(132)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा./2018/0004 विरूद्ध आदेश दिनांक 22-11-2017 पारित अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 240/16-17 अपील एवं 351/16-17 अपील.

---

1. श्रीमती सकुन्तला पत्नी उदयसिंह राजपूत
   निवासी आदित्यपुरम ग्वालियर
2. श्रीमती लज्जावती पत्नी हरविलास सिंह
   ग्राम बूढदा जिला शिवपुरी .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. श्रीमती आरती पवैया पत्नी स्व. जितेन्द्र
   उर्फ जीतू रसूलावाद सुभाषपुरा
   रामगोपाल का बाड़ा हजीरा ग्वालियर
2. श्रीमती प्रीती तौमर पुत्री स्व. गंगासिंह पवैया
   पत्नी सोनू उर्फ रवि तौमर पुत्र ईदलसिंह
   रसूलावाद सुभाषनगर हजीरा ग्वालियर .....अनावेदकगण

श्री एस.पी. धाकड़, अभिभाषकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 28/5/19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 22-11-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रामवती पत्नी स्व. गंगासिंह द्वारा नायब तहसीलदार, उप तहसील आंतरी, तहसील चिनौर जिला ग्वालियर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि जीतेन्द्र सिंह उर्फ जीतू पवैया उसका एकमात्र पुत्र है, जिसकी मृत्यु हो

चुकी है । अत: उसके मृतक पुत्र के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की प्रश्नाधीन भूमि पर उनका फौती नामांतरण किया जाये । तहसीलदार, चीनौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/13-14/अ-6 पंजीबद्ध कर, कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण द्वारा भी तहसीलदार, चीनौर जिला ग्वालियर के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपने मृतक भाई जितेन्द्र पवैया के भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम सिरसुला, तहसील चिनौर जिला ग्वालियर स्थित प्रश्नाधीन सर्वे क्रमांक 474 रकबा 1.463, सर्वे क्रमांक 487 रकबा 0.293 एवं सर्वे क्रमांक 488 रकबा 0.261 कुल किता 3 कुल रकबा 2.017 हेक्टेयर भूमि पर मृतक भूमिस्वामी की सगी बहन होने से वे एकमात्र वैध वारिस होने के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर नामांतरण किए जाने का अनुरोध किया गया । इसी प्रकार अनावेदिका क्रमांक 2 प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार होने से पक्षकार बनाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । मृतक जीतेन्द्र की कथित पत्नी अनावेदिका क्रमांक 1 द्वारा भी मृतक जीतेन्द्र के स्थान पर प्रश्नाधीन भूमि पर उसका नामांतरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा भी आपत्ति प्रस्तुत की गई । कार्यवाही के दौरान अनावेदिका क्रमांक 1 आरती पवैया द्वारा प्रकरण अन्यत्र न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने का आवेदन पत्र अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण क्रमांक 22/13-14/विविध में दिनांक 23-7-14 को आदेश पारित कर प्रकरण तहसीलदार, भितरवार को अंतरित किया गया । तदोपरांत तहसीलदार, भितरवार द्वारा दिनांक 15-9-14 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदिका क्रमांक 1 आरती पवैया का नामांतरण स्वीकार करते हुए सर्वे क्रमांक 474 रकबा 4.418 यह निष्कर्ष निकाला गया कि उक्त भूमि की रजिस्ट्री एक ओर जीतेन्द्र के नाम रामवती द्वारा की गई है तो दूसरी ओर एक रजिस्ट्री रामसिंह भदौरिया के नाम भी की गई है । इस भूमि का अभी तक किसी के भी नाम नामांतरण नहीं हुआ है । उभय पक्ष सक्षम न्यायालय में पृथक से नामांतरण की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र हैं । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण एवं मृतक जीतेन्द्र की मॉ रामवतो द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, भितरवार जिला ग्वालियर के समक्ष पृथक-पृथक दो अपीलें प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक अपील 70/2013-14/अपील व 2/2014-15/अपोल पंजीबद्ध कर दोनों अपीलों में एकसाथ दिनांक 28-2-17 को आदेश पारित कर अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर आदेशित किया गया कि यदि अनावेदिका क्रमांक 1 सक्षम न्यायालय से स्वयं को मृतक जितेन्द्र सिंह की वैधानिक पत्नी होने का आदेश प्राप्त करती है तब प्रश्नाधीन भूमियों पर एकमात्र उसे ही अपना नामांतरण कराने की पात्रता होगी, अन्यथा

परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय मृतक के वैध वारिसान की जांच कर तदनुसार प्रश्नगत भूमियों पर उनका नामांतरण कर सकेंगे और तब तक प्रश्नगत भूमियों के राजस्व अभिलेखा को पूर्ववत जितेन्द्र सिंह के नाम पर अद्यतन रखा जाये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदिका क्रमांक 1 द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष दो पृथक-पृथक अपीलें प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण क्रमांक 240/16-17 अपील एवं 351/16-17 अपील पंजीबद्ध कर दोनों अपीलों में एकसाथ दिनांक 22-11-2017 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से पारित आदेश दिनांक 28-2-17 निरस्त करते हुए अपील स्वीकार किया जाकर तहसीलदार का आदेश यथावत रखा गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदिका क्रमांक 1 को मृतक जितेन्द्र की पत्नी होने के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर उसका नामांतरण किया गया है, जबकि वह मृतक जीतेन्द्र की पत्नी नहीं है, न ही अनावेदिका क्रमांक 1 एवं मृतक जीतेन्द्र का हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार विवाह हुआ है और न ही सिविल न्यायालय से वारिसाना प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है । उपरोक्त स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त कर, प्रकरण विधिवत जांच हेतु प्रत्यावर्तित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, किन्तु अपर आयुक्त द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं देकर त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी का वैधानिक आदेश निरस्त करने में भूल की गई है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जिन आधारों पर अनावेदिका क्रमांक 1 को मृतक जीतेन्द्र की पत्नी माना है, उससे संबंधित शपथ पत्र दिनांक 29-5-13 जीतेन्द्र उर्फ जीतू के नाम से है, किन्तु उस पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं और विवाह संबंधी जो फोटो पेश किए गए हैं, वह ट्रिक फोटोग्राफी से निर्मित किए गए है, जिसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका क्रमांक 4227/2013 में पारित आदेश दिनांक 1-7-2014 का गलत निष्कर्ष निकाला गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदिका क्रमांक 1 का भाई आपराधिक प्रवृति का होकर उसके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि हड़पने की नीयत से गुंडों से मिलकर जीतेन्द्र सिंह की हत्या कराई है, जिसके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 350/2013 पुलिस थाना ग्वालियर में कायम की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण को न तो सूचना दी गई है, न ही सुनवाई का कोई अवसर दिया गया है और न ही इस्तहार का विधिवत प्रकाशन किया गया है, जो कि विधि विपरीत कार्यवाही होकर निरस्त किए जाने योग्य है ।

4/ अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन भूमियों के अभिलिखत भूमिस्वामी जीतेन्द्र सिंह उर्फ जीतू पवैया थे । उनकी मृत्यु होने पर वारिसाना नामांतरण हेतु आवेदन पत्र जीतू की मॉ रामवती, उसकी बहन आवेदिकागण सकुन्तला व लज्जावती एवं कथित पत्नी आरती द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए । तहसीलदार द्वारा दिनांक 15-9-2014 को आदेश पारित कर विवाह सम्बन्धी दस्तावेज, छाया चित्रों एवं माननीय उच्च न्यायालय, ग्वालियर की खण्डपीठ द्वारा W.P. क्रमांक 4227/2013 में पारित आदेश दिनांक 1-7-2013, मृतक की सगी बहन प्रीति तोमर के आवेदन पत्र एवं साक्ष्यों के आधार पर अनावेदिका क्रमांक 1 आरती को मृतक भूमिस्वामी की पत्नी मान्य करते हुए, उसके पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किया गया है । इस सम्बन्ध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विस्तार से विवेचना करते हुए स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि अनावेदिका क्रमांक 1 द्वारा विवाह सम्बन्धी जो शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए हैं, उसमें जीतेन्द्र द्वारा आरती के पक्ष में निष्पादित शपथ पत्र में आरती के हस्ताक्षर हैं और आरती द्वारा जीतेन्द्र के पक्ष में निष्पादित शपथ पत्र में आरती के हस्ताक्षर हैं, अत: उक्त शपथ पत्र अपने आप में ही संदिग्ध है । विवाह सम्बन्धी छाया चित्र भी केवल जीतेन्द्र और आरती तक सीमित हैं, जो आपस में खिचाये गये हैं, जहां तक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुलिस को आदेशित किया गया है कि उक्त विवाह को लेकर हरेसमेंट किया जा रहा है तो पुलिस उनको प्रोटेक्शन दे और यदि इस न्यायालय में प्रस्तुत तथ्य सही होना नहीं पाई जाती है तो उनके सम्बन्ध में कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र हैं । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा जिन आधारों पर अनावेदिका क्रमांक 1 को मृतक भूमिस्वामी जीतेन्द्र उर्फ जीतू पवैया की पत्नी मान्य कर प्रश्नाधीन भूमियों पर नामान्तरण स्वीकृत किया गया है, वे अवैधानिक होकर नान्य योग्य नहीं हैं । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाले गए उक्त निष्कर्ष अपने स्थान पर पूर्णत: विधिसंगत एवं न्यायिक है । अत: अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में यह भी स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि यदि अनावेदिका क्रमांक 1 स्वयं को मृतक जितेन्द्र सिंह की वैधानिक पत्नी होने का आदेश प्राप्त करती है तब प्रश्नाधीन भूमियों पर एकमात्र उसे ही अपना नामांतरण कराने की पात्रता होगी, अन्यथा परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय मृतक के वैध वारिसान की जांच कर तदनुसार प्रश्नगत भूमियों पर उनका नामांतरण कर सकेंगे, जो कि पूर्णत: न्यायिक कार्यवाही है । दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णत: वैधानिक आदेश होने से

स्थिर रखे जाने योग्य है । जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है उनके द्वारा उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में त्रुटि की गई है । उनका यह निष्कर्ष भी उचित नहीं है कि संहिता की धारा 49 में दिनांक 30-12-2011 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में त्रुटि की गई है, क्योंकि वास्तव में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित नहीं कर भविष्य की परिस्थितियों के अनुरूप नामांतरण किए जाने हेतु आदेशित किया है । इस प्रकार अपर आयुक्त का आदेश निरस्ती योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 22-11-2017 निरस्त किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, भितरवार का आदेश दिनांक 28-2-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर